

न्यायालय तहसीलदार लवाण जिला दौसा(राज.)

सरकार बनाम रामावतार जयसिंह पुत्रान रेवड़ जाति गुर्जर नि.नयागांव तह.लवाण

मिसल न. 01/2023

निर्णय दिनांक-26/05/2023

आज पत्रावलि पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है । पटवारी हल्का नयागांव ने एक रिपोर्ट राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत इस आशय की न्यायालय में प्रस्तुत की की अप्रार्थी रामावतार जयसिंह पुत्रान रेवड़ जाति गुर्जर नि.नयागांव तह.लवाण ने ग्राम नयागांव के आरजी खसरा न. 298 रकबा 0.20 है. एवं 297 रकबा 0.10 है. किस्म चारागाह भूमि पर संवत् 2080 मौसम स्त्री/खरीफ में लेट-बाथरूम,दीवार,छप्पर,बोरवेल,पानी की टंकी,भेड़ बकरी का बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी पेशी पर उपस्थित/अनुपस्थित हुआ/रहा प्रार्थी ने अतिक्रमण नहीं होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । अतिचार सिद्ध है ।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचा की अप्रार्थी का प्रशनगत राजकीय भूमि पर कोई टाइटल अथवा अधिकार सिद्ध नहीं होता है तथा वह एक अतिचारी की हैसियत रखता है अतः उसे उक्त राजकीय भूमि पर से भौतिक रूप से बेदखल किया जाना अत्यंत आवश्यक है ।

अतः प्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की उपधारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अतिक्रमणशुदा रकबे पर बनी लेट-बाथरूम,दीवार,छप्पर,बोरवेल,पानी की टंकी,भेड़ बकरी का बाड़ा से भौतिक रूप से बेदखल किया जाता है तथा उस पर लगान 1.80 रु. का 50 गुना 90 रु. एवं 0.90 रु. का 50 गुना 45 रु. का कुल आरोपित शास्ति 135 रुपये से दंडित किया जाता है । पत्रावली मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को भिजवाई जावे एवं शास्ति वसुली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हल्का/भू.अ.निरीक्षण को लिखा जावे । पत्रावलि फैसले शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील लेख भण्डार हो । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


तहसीलदार लवाण
जि. दौसा (राज.)

